दैनिक भास्कर
बिलासपुर 05-07-2025

नया अधिनियम के 1 साल में नहीं हुआ अवार्ड पारित

हाईकोर्ट ने एनआरडीए की भू-अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त की

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नए भू-अर्जन कानून के तहत तय समय सीमा में अवार्ड पारित नहीं करने पर पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाती है। ग्राम निमोरा और नवागांव के रहने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत हुआ था। धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी हुई, लेकिन 1 जनवरी 2014 से नया कानून यानी 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013' लागू हो गया।

नए कानून की धारा 25 के मुताबिक, धारा 19 (जो कि पुराने कानून की धारा 6 के समकक्ष है) के तहत अधिसूचना जारी होने के एक साल के भीतर अवार्ड पारित करना अनिवार्य है। लेकिन एनआरडीए ने तय समय सीमा के बाद अवार्ड पारित किया। इसे चुनौती दी गई। शेष | पेज 3